न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 18/2014

बउनवान

कैलाशचंद आत्मज बृजमोहन जाति मीणा निवासी ग्राम बैगना तहसील व जिला बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र कृष्ण जाति मीणा निवासी ग्राम बैंगना तहसील व जिला बारां
2. नरेन्द्र कुमार आत्मज बृजमोहन जाति मीणा निवासी ग्राम बैगना तहसील व जिला बारां
3. चबूतरा श्री महोदव जी व्यवस्थापक रामदयाल मृतक– जरिये कायम मुकाम –
   3/1 महेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति गुंसाई निवासी ग्राम बैगना तहसील व जिला बारां
   3/2 शम्भूदयाल पुत्र रामदयाल जाति गुंसाई निवासी ग्राम बैगना तहसील व जिला बारां
   3/3 रेखा पुत्री स्व0 रामदयाल पत्नि मनोज जाति गुंसाई नि0 तेली फेक्ट्ररी बारां तहसील व जिला बारां (राज0)
   3/4 धनकंवर पुत्री स्व0 रामदयाल पत्नि सत्यनारायण जाति गुंसाई नि0 ग्राम बैगना तहसील व जिला बारां (राज0)
   3/5 संतोष पुत्री रामदयाल पत्नि सत्यनारायण जाति गुंसाई नि0 ग्राम बैगना तहसील व जिला बारां (राज0)
   3/6 रतनबाई पत्नि स्व0 रामदयाल जाति गुंसाई नि0 ग्राम बैगना तहसील व जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये पेरोकार सरकार

(अप्रार्थीगण)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एडवोकेट (प्रार्थी)
2. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट (अप्रार्थी कम 1)

निर्णय दिनांक 31.05.2024

प्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 717/99 उनवान कैलाशचंद बनाम मांगीलाल वगै0 में आदेश दिनांक 04.08.1999 से न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा "प्रार्थी के खाते में सेटलमेन्ट से पूर्व जो भूमि दर्ज थी, उसके अनुसार वह भूमि दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार बारां से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी के अनुसार ग्राम बैगना के खसरा नंबर 885 रकबा 0.063 है0 भमि जो प्रार्थी के खाते दर्ज है, लेकिन मौके पर यह 0.58 है0 है। अब खसरा नंबर 887/0.07 में से 0.04 है0 दक्षिणी तरफ का मिलाने से यह खसरा नंबर 885/0.58 के स्थान पर 0.62 है0 दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी नं0 1 के खाते दर्ज खसरा नंबर 787 रकबा 0.07 है0 में से 0.04 है0 कम कर प्रार्थी के खाते में दर्ज की जावे। इसी प्रकार खसरा नंबर 888 की 0.01 है0 भूमि गैर मुमकिन चाह दर्ज किया है, जो पूर्व की अपेक्षा 0.01 कम है तथा 887 की 0.03 है0 व खसरा नंबर 889 की 1.05 में से 0.01 है0 ... किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शे में तरमीम कर इन्द्राज हो" इस आदेश की अप्रार्थी मांगीलाल ने अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा में पेश की गई, जो प्रकरण संख्या 3/2015/अपील/एल0आर0एक्ट/बारां बउनवान मांगीलाल बनाम केलाशचंद वगैरह दर्ज की जाकर उसमें पारित निर्णय दिनांक 26.08.2015 से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज0)

स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.1999 अपास्त किया जाकर "प्रकरण पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वांछित राजस्व अभिलेखो का अवलोकन कर धारा 136 एलआर एक्ट में निहित प्रावधान – भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियो को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा, जिसका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।" इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित होकर न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान को तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार बारां से ग्राम बैंगना तहसील बारां के विवादित खसरा नंबर 890, 891, 892, 893, 894, 895, 885, 887 एवं 889 की वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि "विवादित आराजी खसरा संख्या 885 रकबा 0.63 है. खातेदार कैलाशचन्द पुत्र श्री बृजमोहन जाति मीना निवासी बैंगना के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त आराजी का रकबा सीमाज्ञान करने पर 0.62 है. आता है जबकि राजस्व नक्शा लट्ठा खसरे की आकृति अनुसार उक्त खसरे का रकबा 0.58 है. ही बनता है। उक्त आराजी का क्षेत्रफल 0.04 है. खसरा संख्या 887 में शामिल होना पाया गया। वर्तमान रेकार्ड अनुसार खसरा संख्या 887 रकबा 0.07 है. खातेदार मांगीलाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीना निवासी बैंगना के नाम दर्ज है। इस प्रकार मौके पर खसरा संख्या 885 के कमी रकबे 0.04 है. की पूर्ति प्रतिवादी के आराजी खसरा संख्या 887 रकबा 0.07 है. में दक्षिणी तरफ से हो रही है। आराजी खसरा संख्या 889 रकबा 1.05 है. खातेदार मांगीलाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा बैंगना के खाते में दर्ज है उक्त खसरे का क्षेत्रफल मौके पर 1.06 है. है जो 0.01 है. अधिक है। आराजी खसरा संख्या 895 रकबा 0.99 है. खातेदार चबूतरा श्री महादेव जी विराजमान दर्ज है। उक्त आराजी का रकबा मौके पर मुताबिक नक्शा लट्ठा आकृति अनुसार 0.99 है. ही है। आराजी खसरा संख्या 890 रकबा 0.28 है., 891 रकबा 0.06 है., 892 रकबा 0.08 है., 893 रकबा 0.26 है., 894 रकबा 0.05 है. किता 5 रकबा 0.73 है. भूमि खातेदार कैलाशचन्द पुत्र बृजमोहन हि. 1/2, सुरेश कुमार पुत्र बृजमोहन हि. 1/2 जाति मीणा निवासी बैंगना के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा लट्ठा रकबे में कोई अन्तर नहीं आता है।"

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तहसीलदार बारां से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करवाते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 885 रकबा 0.63 है. खातेदार कैलाशचन्द पुत्र श्री बृजमोहन जाति मीना निवासी बैंगना के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त आराजी का रकबा सीमाज्ञान करने पर 0.62 है. आता है जबकि राजस्व नक्शा लट्ठा खसरे की आकृति अनुसार उक्त खसरे का रकबा 0.58 है. ही बनता है। उक्त आराजी का क्षेत्रफल 0.04 है. खसरा संख्या 887 में शामिल होना पाया गया। वर्तमान रेकार्ड अनुसार खसरा संख्या 887 रकबा 0.07 है. खातेदार मांगीलाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीना निवासी बैंगना के नाम दर्ज है। इस प्रकार मौके पर खसरा संख्या 885 के कमी रकबे 0.04 है. की पूर्ति प्रतिवादी के आराजी खसरा संख्या 887 रकबा 0.07 है. में दक्षिणी तरफ से हो रही है। [illegible] उक्तानुसार प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने अभिभाषक प्रार्थी के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलेट न्यायालय ने [illegible] यह माना है कि यदि नक्शा दुरूस्ती का मामला हो तो वह अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट नहीं हो सकता उसके लिये एल.आर.एक्ट की

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

धारा 110, 118 व 131 हैं। प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रकरण केवल 136 एल. आर.एक्ट का नहीं है नक्शा दुरूस्ती का भी है तथा नक्शा दुरूस्ती पर एल.आर.एक्ट की धारा 136 लागू नहीं होती है इसके लिये पृथक से 131 एल.आर.एक्ट में अधिकार तय किये जा सकते हैं जिसमें दोनो पक्षों की शहादत लेकर ही निर्णय पारित किया जाता है। अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत आरबीजे (28) 2021 बउनवान मनोज बनाम सत्यनारायण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2001 की छायाप्रति पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार बारां से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम बैंगना की आराजी खसरा संख्या 885 रकबा 0.63 है. का रकबा सीमाज्ञान करने पर 0.62 है. आता है जबकि राजस्व नक्शा लट्ठा खसरे की आकृति अनुसार उक्त खसरे का रकबा 0.58 है. ही बनता है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मात्र रकबा दुरूस्ती का ना होकर नक्शे लट्ठे में भी दुरूस्ती का होना स्पष्ट दृष्टिगत होता है। अभिभाषक प्रार्थी ने हस्तगत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश की है तथा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत अनुसार हस्तगत प्रकरण भी नक्शे में भूमि से सम्बन्धित है, जो धारा 131 के तहत ही दुरूस्ती योग्य है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested